निर्देश सं. 74

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में
वायु गुणवक्ता प्रबंधन आयोग

17 वां तल, जवाहर व्यापार भवन,

(एस. टी. सी. बिल्डिंग), टॉलस्टॉय मार्ग,

नई दिल्ली -110001

फा. स. ए - 110018 /01 /2021 /सी. ए. क्यू. एम. /282 **दिनांक 25. 07. 2023**

विषय-2023 में धान की पराली जलाने की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु कार्यान्वयन और अद्यतन समीक्षा / संशोधित कार्य योजना ।

1. जबकि, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवक्ता प्रबंधन अधिनियम 2021 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों एवं निकटवर्ती क्षेत्रो में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (एतद्पश्चात आयोग के तौर पर संदर्भित) का गठन किया है ;

2 जबकि, अधिनियम की धारा 12 (1) के तहत आयोग को शक्तियाँ दी गई हैं, कि वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता को संरक्षण एवं सुधार के उद्देश्य से ऐसे सभी उपाय करे, निर्देश आदि जारी करें, जैसा कि वह आवश्यक या उचित समझे ।

3. जबकि, अधिनियम की धारा 12 (1) आयोग को शक्ति देती है, कि वह लिखित रूप में किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को निर्देश दें और ऐसा व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे निर्देश का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।

4. जबकि, आयोग ने अपनी राय व्यक्त की है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता के लिए पराली जलाना एक गंभीर चिंता की बात है और वायु गुणवत्ता पर इसके गंभीर परिणाम हो रहे है और इस मुद्दे पर आयोग के साथ पंजाब, हरियाणा, उ. प्र., राजस्थान राज्य सरकारों, जी. एन. सी. टी. डी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्य प्रदूषण आयोगों, पंजाब और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समितियों (डी. पी. सी. सी.) और ज्ञान संस्थान जैसे भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (आई. सी. ए. आर.), भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान (आई. ए. आर. आई.), भारतीय अंतरिक्ष अनुसन्धान संगठन (आई. एस. आर. ओ.), गैर सरकारी संगठनों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कार्य कर रहे, नागरिक समाज समूहों आदि सहित सभी हितधारकों के साथ बैठकों की श्रृंखला में विचार-विमर्श हुआ। ।

5. जबकि, दिनांक, 10.06.2021 के निर्देश के तहत आयोग ने सम्बंधित राज्यों को फसल अवशिष्ट को जलाने पर नियंत्रण/कम करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की है और निर्देश दिया कि ढांचा में दी गयी, रूपरेखा के अनुसार राज्य विशिष्ट कार्य योजना बनाए।

6. जबकि, आयोग ने दिनांक 28.07.2021 को पराली जलाने की समस्या को हल करने के लिए एक्स-सिटू पराली प्रबंधन के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों को परामर्श जारी किया ।

7. जबकि, आयोग ने दिनांक 16.08.2021 के परामर्श के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की राज्य सरकारों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसन्धान संगठन (आई एस आर ओ) द्वारा विकसित मानक प्रोटोकॉल के अनुसार उपगृह आंकड़ों का प्रयोग करके आग की घटनाओ को मॉनिटर और रिपोर्टिंग करने के लिए परामर्श दिया ।

8. जबकि, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश , राजस्थान और एन सीटी सरकार दिल्ली ने धान की परली जलाने के लिए रोकथाम और नियंत्रण के लिए 22021- 2022 में धान की कटाई के मौसम में राज्य विशिष्ट कार्य योजना बनायी थी ।

9. जबकि, फील्ड अनुभव और सीख के आधार पर वर्ष 2 021- 2022 के दौरान हरियाणा, पंजाब, एन सी आर उत्तर प्रदेश की कार्य योजनाओं में संशोधन किये गए थे और 2023 के मौसम के दौरान आने वाली धान की फसल के लिए अद्यतन किये गए हैं ।

10. जबकि, उपरोक्त अद्यतन कार्य योजनाओं की मुख्य विशेषताओं को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश , सरकार के प्रतिनिधिओं द्वारा पूर्ण आयोग की 14 जुलाई 2023 की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिए गए और आयोग ने सम्बंधित कार्य योजनाओं को अनुमोदित किया ।

11. अब, इस लिए, धान की पराली जलाने से होने वाले प्रदुषण पर नियंत्रण लगाने की अति आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आयोग एतदद्वारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राजस्थान की सरकारों को निर्देश देता है: -

    (i) 2023 के दौरान पराली जलाने पर नियंत्रण एवं जड़ से समाप्त करने के लिए बनायीं गयी रूपरेखा एवं विस्तृत कार्य योजना को मूल भावना के साथ प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाए ।

    (ii) जैसा कि विभिन्न स्तरों पर कार्य योजना में दर्शाया गया है, ढाँचा/कार्य योजना राज्य विशिष्ट योजना की अक्सर समीक्षा करना और उसकी करीब से निगरानी की जाए ।

12. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और राजस्थान राज्य सरकार आने वाले मौसम के दौरान धान की परली जलने की घटनाओं को पूर्ण रूप से कम करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे ।

13. आयोग को साप्ताहिक आधार पर की गई कारवाई की अनुपालन रिपोर्ट दी जायेगी , जो कि 15 सितेम्बर 2023 से शुरू होगी ।

हस्ता०
(अरविन्द नौटियाल)
सदस्य सचिव
दूरभाष सं।. 011 -23701197
011-23446819
ईमेल : arvind.nautiyal@gov.in

सेवा में,

1. मुख्य सचिव, पंजाब सरकार , छठी तल, पंजाब सिविल सचिवालय -1 सेक्टर -1 चंडीगढ-160001

2. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार , चौथा तल, हरियाणा सिविल सचिवालय -1 सेक्टर -1 चंडीगढ-160001

3. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार , चौथा तल, हरियाणा सिविल सचिवालय -1 सेक्टर -1 चंडीगढ-160001

4._, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली 110 001

5. मुख्य सचिव,राजस्थान सरकार ,, सरकारी सचिवालय , जयपुर -302005

प्रतिलिपि :

1.सदस्य –सचिव , पंजाब प्रदू षण नियंत्रण बोर्ड

2. सदस्य –सचिव , हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

3. सदस्य –सचिव उत्तर प्रदेश , प्रदू षण नियंत्रण बोर्ड

4. सदस्य –सचिव , दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

5. सदस्य –सचिव , राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

निम्नलिखित को भी प्रतिलिपि :

अध्यक्ष एवं सभी सदस्य , सीएक्यू एम्

(अरविन्द नौटियाल)